

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर अस्थाई निषेधाज्ञा / 112 / 2015

तारीख रजु 18.11.2015

उनवान

दयाराम पुत्र लोहडेराम जाति धाकड निवासी झारेडा रोड कस्बा हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली।

सायल

बनाम

पूरन पुत्र नामालूम जाति ब्राह्मण वगैरह निवासी केशवपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।

गैरसायलान(04)

उपस्थिति:-

सायल की ओर से :-श्री श्यामलाल शर्मा एडवाकेट।

गैरसायल की ओर से :-कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 20.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायल की ओर वकालतन एक प्रार्थना पत्र कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के खसरा नंबर 6076 / 1 के संबंध में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान सायलान वकील द्वारा दिनांक 20.01.20.20 को निवेदन किया कि सायल प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः सायल का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 112 / 2015 दयाराम बनाम पूरण वगैरह नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

